(2008) 1 एस.सी.आर. 656

बेंजामिन

विरूद्व

राज्य प्रतिनिधि, पुलिस निरीक्षक द्वारा

(सीआरएल 76 ऑफ 2006)

(एस.बी.सिन्हा और एच.एस.बेदी, जे.जे)

(दंड संहिता-302-हत्या-तीन आरोपियों द्वारा-मृतक पर कई और गंभीर चोट, पक्षों के बीच दुश्मनी-घटना का चश्मदीद गवाह, चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट साक्ष्य -एफ आई आर दर्ज करने और जांच शुरू करने में कोई देरी नहीं-ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया-उच्च न्यायालय ने केवल एक को दोषी ठहराया एवं बाकी आरोपियों को बरी कर दिया-अपील पर कहा गया कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी ठहराया जाना सही है- चोटों की संख्या, प्रकृति तथा चिकित्सकीय साक्ष्य के दृष्टिगत अभियुक्त का इरादा सिद्ध होता है।

फौजदारी कानून-आपराधिक मनोस्थिति का निर्धारण-धारित इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों में निर्धारित किया जाना चाहिए।

अपीलार्थी- अभियुक्त संख्या 1 व अभियुक्त संख्या 2 और 3 के विरुद्ध एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी थी। अभियुक्त द्वारा कई मौकों पर मृतक के खिलाफ तरह-तरह की रिष्टि कारित करता रहा है। कहा जाता है कि विचाराधीन घटना से कुछ महीने पहले भी, उन्होंने मृतक के भूसे को आग लगा दी थी। जब मृतक और पी-डब्लू-1 साइकिल पर आ रहे थे, तो किसी ने मृतक पर टॉर्च की रोशनी डाली। पी-डब्लू-1 ने भी अपनी टॉर्च की रोशनी दिखाई और अपीलार्थी को देखा। अपीलार्थी ने मृतक के साथ मारपीट की, अभियुक्त संख्या 3 ने मृतक को पकड़ लिया और अभियुक्त संख्या 2 ने चाकू की नोक पर पीडब्लू-1 को धमकी दी। एफ.आई.आर दर्ज कराई गई ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त की सजा को बरकरार रखा, लेकिन अभियुक्त संख्या 2 व 3 को बरी कर दिया। जिससे व्यथित हो कर हस्तगत अपील पेश की गई।

अपील ख़ारिज करते हुए कोर्ट द्वारा कथन किया गया कि

1. मृतक को लगी चोटों की संख्या और उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा डॉक्टर द्वारा व्यक्त की गई राय को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अपीलकर्ता का मृतक को मारने का इरादा था। (पैरा 18)

2. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के आचरण के बारे में उल्लेख करते समय, अपीलार्थी की ओर से अपीलार्थी की ओर से प्रत्यक्ष रूप से किये गये कार्य का उल्लेख किया। उच्च न्यायालय ने केवल यह राय दी कि मृतक को लगी चोटों की संख्या को देखते हुए, उसका उसे मारने का इरादा था। किसी व्यक्ति को मारने का इरादा प्रत्येक मामले में शामिल तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। डॉक्टर (पीडब्लू-3) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक को लगी चोटें लकड़ी के डंडे/लाठीे के कारण हो सकती हैं, जिसे एम0ओ-1 के रूप में चिन्हित किया गया था। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य ने चक्षुदर्शी साक्ष्य की पुष्टि की (पैरा 17)

3 पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 ने उभयपक्ष के मध्य दुश्मनी साबित कर दी है। जिरह में उक्त गवाहों के बयानों की सत्यता का परीक्षण नहीं किया गया। यह तथ्य कि विचाराधीन घटना से कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, भी निर्विवादित है। (पैरा 11)

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के तुरंत बाद जांच शुरू हो गई। यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अनुचित देरी हुई हो। (पैरा 12)

5 पीडब्लू-1, हालांकि मृतक का बेटा हो सकता है, लेकिन उसके बयान पर विश्वास न करना मुश्किल है कि उसने घटना देखी थी। पीडब्लू-1

द्वारा इस्तेमाल की गई साइकिल और टॉर्च का अपराध कारित करने से कोई संबंध नहीं था। यदि उन्हें पुलिस ने किसी न किसी कारण से जब्त नहीं किया होता, तो यह अपने आप में पीडब्लू-1 के बयान पर अविश्वास करने का आधार नहीं होता। (पैरा 15)

फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकारः फ़ौजदारी अपील संख्या 76/2016

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के फ़ौजदारी अपील संख्या 142 / 1997 के अंतिम आदेश दिनांकित 18.1.2006 से।

अपीलार्थी की ओर से टी. राजा।

वी. कनकराज, वी.जी. परगासम, एस. जोसेफ अरस्तू और ,एस प्रभू रामसुब्रमण्यम प्रतिवादी प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा द्वारा सुनाया गया।

1. मंजूर की गई।

2. यह अपील माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा फौजदारी अपील संख्या 142/2016 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 18 जनवरी 2006 के विरुद्ध पेश की गई है जिसमे अपीलार्थी द्वारा माननीय सैशन न्यायाधीश डिंडीगुल, ज़िला अन्ना के दंडादेश दिनांकित 30 जनवरी 1997 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील ख़ारिज की गई थी।

3. अपीलार्थी, जेसू राज एवं आरोकियम के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड सहिता कारित किए जाने की कार्यवाही की गई। अभियुक्त संख्या 1 व 2 के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दंड सहिता का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त संख्या 3 के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दंड सहिता सपाठित धारा 34 भारतीय दंड सहिता का आरोप विरचित किया गया।

4. हस्तगत प्रकरण में पक्षों के बीच शत्रुता स्वीकार की गई है। अभियुक्त द्वारा रिष्टि कारित किये जाने के कई उदाहरण है। प्रश्नगत घटना दिनांक 26 नवंबर 1994 को कारित की गई थी। घटना से 2 वर्ष पूर्व अभियुक्त संख्या 1 व 3 द्वारा मृतक एवं गवाह पी डब्ल्यू 4 वियकुला मैरी पर हमला किया गया था। जिससे चार माह पश्चात कहा जाता है कि अपीलार्थी द्वारा मृतक के घर की पानी की पाइप लाइन को नुक़सान पहुंचाया गया हैद्य विचाराधीन घटना से कुछ माह पूर्व कहा जाता है कि मृतक के घास के ढेर पर आग लगायी गई थी। घटना से दो सप्ताह पूर्व मृतक पर हमला किया गया जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई अमल में लाई गई।

5. दिनांक 26 नवंबर 1994 को रात के क़रीब 9 बजे जब मृतक एवं शिकायतकर्ता कोलंडैसामी, नीलाकोट्टई बाजार से अपने घर की तरफ़ साइकिल से जा रहे थे, तभी किसी ने मृतक पर टोर्च से रोशनी करी।

मृतक ने इस संबंध में पूछा, तभी पी डब्ल्यू 1 द्वारा भी दूसरी दिशा में टोर्च से रोशनी की गई एवं वहाँ अपीलार्थी को देखा। अपीलार्थी द्वारा अभियुक्त पर लकड़ी के लठ्ठे से हमला किया गया जिसपर ,एम0ओ -1 अंकित किया गया। पी डब्ल्यू 1 ने देखा कि अभियुक्त संख्या 3 ने मृतक को पकड़ रखा है। अभियुक्त संख्या 2 द्वारा गवाह पी डब्ल्यू 1 को चाकू से धमकाया गया कि यदि उसने हस्तक्षेप किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मृतक ज़मीन पर गिर गया परंतु उस पर बार बार हमला किया गया। पीडब्ल्यू1 घटनास्थल से भाग गया। उसका पीछा किया गया पर कहा जाता है कि वो झाड़ियो के पीछे छुप गया था।

6. गवाह पी डब्ल्यू 1 गवाह पी डब्ल्यू 2 सेवेरियार से मिला एवं उसे संपूर्ण घटना के बारे में बताया। वो दोनों अपने गाँव कि तरफ़ भागे। घटना स्थल पर पहुंच कर उन्होंने देखा की मृतक की मृत्यु हो गई थी।

7. पी डब्ल्यू 1 नीलाकोट्टई पुलिस थाना पहुँचा। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27 नवंबर 1994 को करीब सुबह 01 बजे दर्ज की गई थी। अनुसंधान अधिकारी घटनास्थल पर लगभग सुबह के दो बजे पहुँचे। वहाँ से उन्हें खून से सनी मिट्टी और नीली शोल बरामद हुई। मृतक की मृत्यु संबंधी जाँच क़रीब सुबह के 3 से 5 बजे के बीच में की गई। अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाह पी डब्ल्यू 1,2,5 व 6 को परीक्षित किया गया। मृतक शव को पोस्टमार्टम जाँच हेतु भेजा गया। ऑटोपसी दिनांक 27

नवंबर 1994 को प्रातः 11ः15 बजे की गई । मृतक के शरीर पर निम्नलिखित एंटीमार्टम चोट पाई गई

"1. सिर के पिछले हिस्से पर 3 सेमी X 6.2 सेमी आकार की चोट का निशान पाया गया।

2. सिर के बांची ओर पीछे की ओर 3 सेमी X 6.2 सेमी आकार का चोट का निशान पाया गया।

3. सिर के उपरी भाग पर 3 सेमी X 6.3 सेमी आकार की सूजन पाई गई।

4. सिर के अगले हिस्से पर 3 सेमी X 6.3 सेमी आकार की सूजन पाई गई।

5. आंख की भौंह के दाहिनी ओर 2 सेमी X 6.1 सेमी आकार का चोट का निशान पाया गया।

6. दाहिनी आंख के नीचे 2 सेमी X 6.2 सेमी आकार की चोट पाई गयी। दाहिनी आंख बंद थी, दाहिनी ओर का हिस्सा पूरी तरह से काला पड गया था।

7. दाहिने गाल पर 6 सेमी X 6.4 सेमी आकार की सूजन पाई गयी थी।"

8. माननीय सेशन न्यायाधीश द्वारा रिकार्ड पर मौजूद तथ्यो के आधार पर गवाह पी डब्लयू 1 कोलंडैसामी के बयानों को सही माना। समस्त अभियुक्तगण के विरूद्व अधिरोपित अपराध सिद्व पाये गये। अभियुक्त द्वारा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर करने पर, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व दोषसिद्धि के आदेश एवं दंडादेश को यथावत रखते हुए, अभियुक्त सं 02 व 03 को दोषमुक्त घोषित किया माननीय न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि चूंकि अभियुक्त संख्या 02 अपीलार्थी के ससुर है, संभवतया उनका मृतक को मारने का कोई मकसद नहीं था। इसके अतिरिक्त मृतक के शरीर पर भी कोई घाव/चोट नहीं पाया गया है। अभियुक्त संख्या 03 के संबंध में यह माना गया कि अभियुक्त संख्या 03 को अपराध से जोडने के कोई ठोस आधार मौजूद नहीं है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्त टी.राजा द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निम्नलिखित बिन्दु पेश किये गये:

1. कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के आचरण के आधार पर यह उपधारणा बनाने में गंभीर त्रुटि की उसका मृतक को मारने का अपेक्षित इरादा था। अधिवक्ता अभियुक्त का यह कथन रहा कि ऐसी उपधारणा विधि सम्मत नहीं है।

2. गवाह पीडब्ल्यू 1 के कथनो की पुष्टि हेतु साईकिल एवं टॉर्च जब्त करना अनिवार्य था, जिसे जब्त नहीं किया गया अतः अपेक्षित निर्णय अपास्त किये जाने के योग्य है।

3. यदि पीडब्ल्यू 1 ने जो सामान खरीदा था, उसे जब्त किया जा सकता था, तो इसका कोई कारण नहीं था कि पीडब्ल्यू 1 द्वारा इस्तेमाल की गई साइकिल और टॉर्च को भी जब्त नहीं किया जा सकता था।

10. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.कनकराज ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

11. पी डब्ल्यू 1 और पी 4 ने पार्टियों के बीच दुश्मनी साबित कर दी है। उक्त गवाहों के कथनों की सत्यता का उस आशय से प्रतिपरीक्षा में परीक्षण नहीं किया गया। तथ्य यह भी है कि जिस घटना की बात की जा रही है, उससे कुछ दिन पहले भी एक घटना कारित होना निर्विवादित है।

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट जांच अधिकारी पी डब्ल्यू 10 को 27 नवंबर 1994 को 1.00 बजे प्राप्त हुई। वे तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंच गये थे। घटनास्थल और नीलाकोट्टईक पुलिस थाने के बीच की दूरी लगभग 03 किलोमीटर है। रात करीब दो बजे जांच अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के तुरंत बाद जांच शुरू हो गई। यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अनुचित देरी हुई हो।

13. मारिया मिशेल की हत्या निर्विवादद है। पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि मृतक की चोटें लकडी के लठ्ठे से लगी होंगी, जिस पर एम. ओ 01 के रूप में चिन्हित किया गया है। मृतक के सिर पर कम से कम तीन फ्रैक्चर हुए है।

14. पीडब्लू-1 हालांकि मृतक का बेटा हो सकता है, लेकिन उसके बयान पर विश्वास न करना मुश्किल है कि उसने घटना देखी थी।

15. हमारे द्वारा संपूर्ण बयानों का अध्ययन किया गया एवं और हमें विद्वान सत्र न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के विचारों से असहमत होने का कोई कारण नहीं मिलता। पीडब्लू-1 द्वारा इस्तेमाल की गई साइकिल और टॉर्च का अपराध कारित होने से कोई संबंध नहीं था।यदि उन्हें पुलिस ने किसी न किसी कारण से जब्त नहीं किया,तो यह अपने आप में पीडब्ल्यू-1 के बयान पर अविश्वास करने का आधार नहीं है।

16. उच्च न्यायालय के निम्नलिखित निष्कर्ष पर श्री राजा द्वारा टिप्पणी की गई:

> ‘‘अभियुक्त संख्या 01 के आचरण से यह माना जा सकता है कि पहले अभियुक्त का इरादा मृतक को मारने का था और इसलिए जहां तक पहले अभियुक्त का सवाल है, अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित कर दिया है।‘‘

17. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के आचरण के बारे में उल्लेख करते समय, अपीलार्थी की आरे से किए गये आचरण का उल्लेख किया। उच्च न्यायालय ने केवल यह राय दी कि मृतक को लगी चोटों की संख्या को देखते हुए ,उसका उसे मारने का इरादा था। किसी व्यक्ति को मारने का इरादा प्रत्येक मामले में शामिल तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। डॉक्टर पी डब्ल्यू 03 के. सुब्रमण्यम ने स्पष्ट रूप से कहा कि मृतक को लगी चोटें लकडी के लाठी के कारण हो सकती है, जिसे एम.ओ 01 के रूप में चिन्हित किया गया था। चिकित्सा साक्ष्य ने इस प्रकार चक्षुदर्शी साक्ष्य की पुष्टि की।

18. मृतक को लगी चोटों की संख्या व उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा डॉक्टर द्वारा व्यक्त की गई राय को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अपीलार्थी का इरादा मृतक को मारने का था।

19. उपर्युक्त कारणों से हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिली, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया गया है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी वृष्टि विज (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।